



भारत सरकार

कार्यालय : आयकर आयुक्त- 1, पटना
द्वितीय तल, केन्द्रीय राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना-800001.

दिनांक १७/१/२०१३

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत आदेश

संस्था का नाम एवं पता:-

केवल राय सामाजिक संस्थान
स्ट- २ वीं इलाहाबाद नगर

राड नं० - 14, कंकड़बाग

जिला - पटना (बिहार)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए (1) उपधारा (बी) (1) में निहित शक्तियों के तहत उपरोक्त संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए निर्धारण वर्ष 2013-14 से पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्याय संगत होगा।

- (i) संस्था/न्यास अपनी आय को पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजन में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है वहां उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय कुल आय का पन्द्रह प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) की शर्तों का पालन करेगी।
- (ii) संस्था/न्यास अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट स्वरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी।
- (iii) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।
- (iv) संस्था/न्यास अपनी आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।
- (v) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3) में विदिष्ट व्याक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।

(vi) किसी सामान्य लोकोपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्ण प्रयोजन नहीं होगा, यदि उसमें किसी उपकरण या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति को कोई क्रियाकलाप अथवा किसी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप किया जाना अंतर्बलित है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन अथवा उसके प्रतिधारण की प्रकृति कुछ भी हो। लेकिन अगर इन क्रियाकलापों से कुल प्राप्ति पूर्ववर्ती वर्ष में रु० पच्चीस लाख या इससे कम है तो उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।

(vii) यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था/न्यास के क्रियाकलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न, अथवा असंगत है अथवा संस्था/न्यास के क्रियाकलाप प्रामाणिक नहीं रहे तो आयकर अधिनियम की धारा 12ए (3) के अंतर्गत उक्त पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

पंजीकरण संख्या 158 / 2012-13

3-
(एस० डी० झा)

आयकर आयुक्त-1, पटना

सं० सं०- आ.आ.-1 / पटना / तक० / 12ए / 2012-13 / 2505-8

दिनांक 27-2-13

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव / अध्यक्ष 39 रास्ता संस्था

2. संचुक्त / अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - 1, पटना को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास का धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 11 से 13 तक करमुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास करमुक्ति के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं। यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो उसे करमुक्ति देय नहीं होगी तथा धारा 12ए (3) के अंतर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

3. सहायक आयकर आयुक्त, अंचल - 1, पटना /

4. मुख्य आयकर आयुक्त-1, पटना

21/2
(राम चन्द्र राम) 13

आयकर अधिकारी (तक०)

कृते : आयकर आयुक्त-1, पटना

